न्यायालय : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोजपुर, आरा।

SC/ST Case no. 48/2020

(शाहपुर थाना काण्ड संख्या 69/2020)

24.04.2020 प्रस्तुत वाद में शाहपुर (कारनामेपुर, ओ0पी0 शाहपुर) थाना काण्ड संख्या 69/2020 दिनांक 11.03.2020 के प्राथमिकी में जो भा0द0वि0 की धारा 341, 323, 354, 504, 506/34 एवं अनुसुचित जाति/जनजाति अधिनियम की धारा 3(i)(r)/3(i)(s)/3(i)(w)(i)/3(2)(va) के अंतगर्त प्राथमिकी कुल 8 अभियुक्तों के विरूद्ध दर्ज है, जिसमें से पुलिस द्वारा आज अभियुक्त लव कुमार सिंह उर्फ जय सिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय में मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में सूचिका चंदा देवी का आरोप है कि दिनांक 10.03.2020 को समय 12:00 बजे दोपहर शौच करने के लिए खेत में जा रही थी। उसी समय सुनसान जगह पर संतोष सिंह पिता विश्वनाथ सिंह एवं अभिषेक सिंह पिता राम बालक सिंह दोनो ग्राम+पोस्ट – ईश्वरपुरा, मिल्की ने मुझे बाहों में पकड़कर सरसो के खेत के अंदर घसीटकर ले जाने लगें। मेरे द्वारा प्रतिरोध करने पर मुझे बाल पकड़कर पटक दिया, जिससे मै निवर्सत्र हो गई और मुझे चोट लग गई। जब मेरे चिल्लाने पर अज्ञात लोग जुटे तो किसी तरह मेरी इज्जत बची। इसके बाद मै अपने परिवार के सदस्यों के साथ विश्वनाथ सिंह के द्वारा पर शिकायत करने गई तो वहॉ पर बैठे राम बालक सिंह पिता स्व0 बबन सिंह, शैलेश सिंह पिता बिसु सिंह, लव सिंह और कुश सिंह दोनो पिता भगवान सिंह, नितिश सिंह पिता संतोष सिंह, बिसु सिंह पिता स्व0 तेगा सिंह सभी ने मेरे भैसूर संतोष पासवान (BDC, Ishwarpura) और ससुर घुरहू पासवान पिता अछय लाल पासवान को दुसाध का बच्चा कहकर गंदी–गंदी गालियॉ दिया और मुक्का–लात से मारा–पीटा। रामबालक सिंह बंदुक तथा लव सिंह देशी कट्टा दिखाते हुए धमकी दिये कि केस करने जाओगे तो जान मार देंगें।

उपरोक्त प्राथमिकी का अवलोकन करने से पाया जाता है कि इस वाद के मुख्य अभियुक्त संतोष सिंह और अभिषेक सिंह है, जिनके उपर पीड़िता के साथ छेड़खानी या गलत काम करने के प्रयास का आरोप है। अन्य अभियुक्तों पर जो आरोप है, वह गाली–गलौज और मार–पीट करने का है एवं धमकी देने का है, जिसमें यह गिरफ्तार अभियुक्त लव कुमार सिंह का भी नाम है। अभिलेख के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि भा0द0वि0 की धारा के अंतगर्त लगे सभी आरोप जमानतीय प्रकृति के है और जहॉ तक अनुसुचित जाति/जनजाति के अंतगर्त लगे आरोप का प्रश्न है, वह विशिष्ट रूप से नहीं है बल्कि सामान्यतया सभी अभियुक्तों के उपर है।

इस प्रकार से वर्तमान परिवेश में जबकि पुरे देश में कोविड–19 महामारी को लेकर लॉक डाउन चल रहा है और न्यायालय द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि छोटे–मोटे मामलों में माननीय सर्वोच्य न्यायालय एवं माननीय पटना उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के आलोक में औपबंधिक रूप से जमानत प्रदान कर दिया जाये। इसलिए इस दिशा निर्देश के आलोक में अभियुक्त के विरूद्ध लगे आरोप की स्थिति को देखते हुए जो न तो गंभीर है और न ही विशिष्ट है, इसलिए यह अभियुक्त ऑपबंधिक रूप से जमानत पर छुटने के योग्य है।

इसलिए अभियुक्त लव कुमार सिंह उर्फ जय सिंह को मो0 10,000/– रूपया के व्यक्तिगत बंधपत्र पर ऑपबंधिक रूप से 3 माह के लिए जमानत प्रदान किया जाता है।

कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि अभियुक्त से व्यक्तिगत बंधपत्र प्राप्त कर उसको अभिरक्षा से मुक्त करें।

लेखापित
Sd./-
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोजपुर, आरा।